

तारीख

—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

8/6/23

बापू
 उमर पक्ष अनुपस्थित। ~~अवकाश~~ 26/9/23
 को मगाना उमर पक्ष न्यायालय में उपस्थित
 नहीं है; और न ही उमर अधिवक्ता
 पंजी के लिए उपस्थित हैं जिसके कारण
 न्यायिक कार्य सुचारु रूप से संचालित नहीं
 हो पा रहा है ऐसा प्रतीत होता है
 दोनों पक्षों को कोई सचि नहीं है
 रहे हैं और न्यायालय में शक्ति खरटे हैं
 धन: उमर पक्षों के उदासितता के कारण
 कार्य की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है
 8/6/23